

कार्यालय आदेश

निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक/राम/प-2(3)रातस/बैच-29/2019/6121-8323 दिनांक 01.07.19 की पालना में इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 440-446 दिनांक 09.08.19 के अनुसार सीधी भर्ती आर.टी.एस. परीवीक्षाधीन बैच सं. 29 के प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 19.08.19 से 18.09.19 तक एक माह का भू प्रबन्ध प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण हेतु श्री कैलाश चन्द स्वामी, सदर मुन्सरिम, श्री मुरलीधर शर्मा निरीक्षक, श्री पूरणमल बैरवा निरीक्षक, श्री रिछपाल जाट निरीक्षक, श्री महेश चन्द्र सैन निरीक्षक, श्री जगदीश प्रसाद कुम्हार भूमापक, श्री धीरेन्द्र भूमापक, एवं श्री यादवेन्द्र यादव भूमापक को प्रशिक्षण देने हेतु लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आर.टी.एस. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रोग्राम अनुसार प्रशिक्षण दें।

भू प्रबन्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अवधि एक माह)

क.सं.	प्रशिक्षण विवरण	अवधि	प्रशिक्षण स्थान
1.	भू माप का व्यावहारिक प्रशिक्षण, ट्रावर्स प्रणाली, ट्राईगुलेशन प्रणाली का प्रशिक्षण	20.08.19 से 30.08.19	फील्ड
2.	आधुनिक सर्वे यंत्रों से सर्वे का प्रशिक्षण	02.09.19 से 06.09.19	फील्ड
3.	अभिलेख तैयारी का प्रशिक्षण, पर्चा खतौनी तैयारी एवं तस्दीक, पर्चा लगान तैयारी व वितरण, तरतीब, टेंटेटिव रेन्टरेट तैयारी एवं असेसमेन्ट कार्य, तैयारी मिसल बन्दोबस्त का प्रशिक्षण	09.09.19 से 13.09.19	एस.टी.आई.
4.	DILRMP योजना की जानकारी	16.09.19 से 17.09.19	एस.टी.आई.
5.	विचार विनिमय व शंका का समाधान	18.09.19	एस.टी.आई.

- नोट- 1. प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण श्री मनोज सोलंकी (प्रशिक्षक) सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यदास एवं श्रीमती कनक जैन सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर द्वारा किया जावेगा।
2. फील्ड प्रशिक्षण ग्राम नीदड तहसील आमेर, जयपुर में दिया जाना है।
3. प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न सूची अनुसार ग्रुप-ए, ग्रुप-बी में विभाजित किया गया है।

सन्दर्भ- उपरोक्तानुसार

Kesh
14/8/19

(महेन्द्र कुमार पारख)
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त, एवं
पदेन प्रधानाचार्य, भूप्रबन्ध
प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।

क्रमांक/समसंख्यक/ 482-577

दिनांक 14/8/19

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
2. अति० निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. प्राधानाचार्य, एपीआरटीएस, टोंक।
4. निजी सचिव, भू-प्रबन्ध आयुक्त।
5. निजी सहायक, अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त।
6. भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण में लगाये गये कार्मिकों को निर्धारित दिनांक को प्रशिक्षण देने हेतु पांबद करवाने का श्रम करावें।
7. सम्बन्धित प्रशिक्षु नायब तहसीलदार श्री.....को पालनार्थ।
8. सम्बन्धित कार्मिक श्री को पालनार्थ।
9. लेखा शाखा, सस्थापन शाखा, मुख्यकार्यालय।
10. प्रभारी स्टोर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित प्रशिक्षण प्रोग्राम हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करावें।

LEP
14/8/19

अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,
एवं पदेन प्रधानाचार्य,
भूप्रबन्ध प्रशिक्षण
संस्थान, जयपुर।